न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 14 / 2018

तारीख दायरा–26.06.2018

तारीख निर्णय–19.06.2019

1. श्री गोपाल पिता श्री चुन्नीलाल शर्मा निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री जगदीश पिता श्री चुन्नीलाल शर्मा निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता श्री चुन्नीलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री दुर्गाशंकर पिता श्री कनीराम माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री गणेशलाल पिता छगनलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी श्री रामचन्द्र माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री परता पिता भेरा गुजर निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री शेरा पिता देवा गुजर निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
7. श्री जेता पिता देवा गुजर निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री मांगीलाल पिता हेमा माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री भंवरलाल पिता कन्हैयालाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
10. श्री गणेशलाल पिता कन्हैयालाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
11. श्री गजेन्द्र पिता श्री प्रभुलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
12. श्री किशन पिता श्री प्रभुलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
13. श्री कमल पिता श्री प्रभुलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
14. श्रीमती भंवरीबाई बेवा श्री प्रभुलाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
15. श्रीमती सरजु बेवा श्री कन्हैयालाल माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
16. श्री अनील कुमार पिता श्री अर्जुनलाल ब्राहमण निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
17. श्री किशनलाल पिता श्री नानालाल सुथार निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
18. श्री भंवरलाल पिता श्री राजमल महाजन निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

19. श्री कना पिता श्री हेमा माली निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 1700 रकबा 0.0150, 1701 रकबा 0.0350, 1702 रकबा 0.0050, 1703 रकबा 0.0050, 1704 रकबा 0.0050, 1705 रकबा 0.0050 किता 06 कुल रकबा 0.0700 है0 भूमि ग्राम नान्देशमा तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 1464, 1465 रकबा 1.0800, 1666 रकबा 0.0150, 1673 रकबा 0.0250, 1706 रकबा 0.0150, 1707 रकबा 0.0100, 1709 रकबा 0.0250 है0 भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी को परेशान करते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है एवं घास लकडी इत्यादि ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षीगण की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते रहते है। इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1700 रकबा 0.0150, 1701 रकबा 0.0350, 1702 रकबा 0.0050, 1703 रकबा 0.0050, 1704 रकबा 0.0050, 1705 रकबा 0.0050 किता 06 कुल रकबा 0.0700 है0 का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
गोगुंन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

आराजरी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण को भी पत्थरगढी करवाये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नान्देशमा पटवार क्षेत्र नान्देशमा तहसील गोगुन्दा में प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी संख्या आराजी संख्या 1700 रकबा 0.0150, 1701 रकबा 0.0350, 1702 रकबा 0.0050, 1703 रकबा 0.0050, 1704 रकबा 0. 0050, 1705 रकबा 0.0050 किता 06 कुल रकबा 0.0700 हैक्टयर भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/19

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.10 15:34:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: